संख्या- 2/2016/299/तीस-2-16-03(66)/2003

प्रेषक,

कुमार अरविंद सिंह देव,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,
लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक 22 मार्च, 2016

विषय- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में मृतक आश्रितों के सेवायोजन पर लगे प्रतिबन्ध को शिथिल करते हुए 1200 मृतक आश्रितों की नियुक्ति की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र सं0-370सीईएनटी/जी/15-17निगम/93-।।।/2013, दिनांक-03-08-2015 तथा शासन के पत्र सं0-256/तीस-2-16-03(66)/2003, दिनांक-11-03-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत गठित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में बस संचालन के माध्यम से जनता को कुशल, सुविधाजनक एवं सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध कराया जाना है। परिवहन निगम द्वारा मुख्यत: प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गो पर बस सेवाओं का संचालन किया जाता है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त् वर्णित तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश सं0-5वी.आई.पी./44-2-03-2/च.स./88, दिनांक 11-07-2003 में दिये गये निर्देशों में शिथिलता प्रदान करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में चालक/परिचालक के उत्पादक पदों पर कुल बारह सौ (1200) अर्ह मृतक आश्रितों की नियुक्ति/सेवायोजित करने की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि नियुक्ति/सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त बारह सौ (1200) पदों पर नियुक्ति आदेश निर्गत करने से पूर्व निम्नांकित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 1200 मृतक आश्रितों की चालकों/परिचालकों के पद पर नियमानुसार नियुक्ति किये जाने हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त पद सृजित है तथा वास्तविक रूप में रिक्ति उपलब्ध है।

(2) 1200 मृतक आश्रितों की नियुक्ति के फलस्वरूप इतनी ही संविदा पर कार्यरत कार्मिकों की संख्या में कमी कर दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) चालक और परिचालक के पदों पर नियुक्त कार्मिकों की संख्या (नियमित/मृतक आश्रितों से रखे गये कार्मिकों की संख्या) स्वीकृत पदों से अधिक नहीं होगी।

(4) उक्त नियुक्ति पर आने वाला वित्तीय व्यय-भार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। शासन द्वारा इस संबंध में कोई वित्तीय सहायता वर्तमान अथवा भविष्य में नहीं दी जायेगी।

(5) सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 11-07-2003 में दी गयी व्यवस्था से विचलन हेतु शिथिलीकरण की अनुमति अपवाद स्वरूप केवल एक बार उक्त प्रयोजन के लिए ही प्रदान किया जा रहा है।

4- यह आदेश सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

5- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0
(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 2/2016/299(1)/तीस-2-16, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 परिवहन राज्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, वित्त/सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
7- महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्युरो, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
ह0
(नर्वेद सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।